

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा-(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला हापुड़ के 289 ग्रामों को ग्राम आबादी के क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-447/एक-14/2020 दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

उक्त के क्रम में मैं, जिलाधिकारी हापुड़ जनपद हापुड़ की तहसील हापुड़ के नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस (10) ग्रामों को आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, स्वामित्व योजना के अधीन कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1- इमटौरी, | 6- मन्सूरपुर |
| 2- सादकपुर | 7- सुलतानपुर |
| 3- नवादा | 8- ततारपुर |
| 4- सलाई | 9- फिरोजाबाद/चीतादेई |
| 5- हाफिजपुर उबारपुर | 10-सिमरौली |

जिलाधिकारी/
जिला अभिलेख अधिकारी,
हापुड़।

कार्यालय

जिलाधिकारी

पत्रांक-

1151

/सात-भूलेख-2020

हापुड़

दिनांक- 11 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग-9 लखनऊ।
- 2- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
- 5- अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/नोडल अधिकारी, हापुड़।
- 6- उप जिलाधिकारी, हापुड़।
- 7- जिला पंचायत राज अधिकारी/तहसीलदार/नोडल अधिकारी तहसील हापुड़/खण्ड विकास अधिकारी हापुड़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हापुड़ को इस निर्देश के साथ कि जनपद हापुड़ की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
- 9- जिला सूचना अधिकारी हापुड़ को इस आशय से कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

जिलाधिकारी/
जिला अभिलेख अधिकारी,
हापुड़।

11/8/2020